राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः वि.सं. 12/परीक्षा/प्राध्यापक/संस्कृत शिक्षा/RPSC/EP-I/2023–24 दिनांक: 25.01.2024 आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ (विद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2015 के अंतर्गत प्राध्यापक–विद्यालय (LECTURER-SCHOOL) के निम्नलिखित विषयों के कुल 52 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:--

	Name of			Gen. (UR)]		S.C				S.T			0.1	B.C.			М.	B.C.			E.V	V.S.	
Post S. No.	Subject	No. of Post (s)	GEN.	GEN. WE	QM	DV	GEN.	GEN. WE	МD	DV	GEN.	GEN. WE	A	GEN.	GEN. WE	MD	DV	GEN.	GEN. WE	MD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	ΛQ
1	हिन्दी	17	6	2	0	0	2	1	1	0	1	0 0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0) 2. P.H (i) B/LV-0, (ii) D., H.H0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D.,M.I., S.L.D, Autism & (b) Mul.Dis1																									
	अंग्रेजी			· (i) B										<u>, M.I.,</u>	S.L.I				<u>Mul.Di</u>						
2		11	5		0	0	1	0	0	0	1	0 0	0			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
H	orizontal Reserv											EWS-0) ers-0, (iv	(a) I F) M I	ST 1		iom &	(b)		a 1					
3	साहित्य	04	2	0	1		0	1	0	0		0 0		0	0	0, Aut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	orizontal Reserv		Fx S		ien /I II	×	v I	<u>1 1</u>		~ I	× 1					V	0		U	U		0	0	0	U
	Sizonta Reserv	2	. P.H. •	· (i) B	/LV-0,	(ii) I	D., H.F	H0, (i	ii) LD/	CP&	Othe	ers-0, (iv)	(a) I.D	M.I	S.L.I	D. Auti	ism &	(b) I	Mul.Di	s1					
4	सामान्य व्याकरण	10	3	0	1	0	0	0	0	0	2	1 0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
H	orizontal Reserv	vation:-	1. Ex. S	er (C	en./U	R-0, \$	SC-0, S	ST-0, C	DBC-0	MB	C-0,	EWS-0)		1						!					
			2. P.H.	- (i) E	3/LV-0	, (ii)	D., H.	H0, (i	iii) LD	/CP8	20th	ers-0, (iv) (a) I.I	D.,M.I.,	S.L.	D, Aut	tism &	: (b)	Mul.D	is1					
5	व्याकरण	07	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
He	orizontal Reserv											EWS-0) ers-1, (iv)		MT	e t t		ann Pr	(1)		- 0					
6	यजुर्वेद	01	1	0	0.0		0., <u>п.г</u> 0	<u>10, (I</u>		0		$\frac{15-1}{0}$		0	0	<u>, Aut</u> 0	$\frac{1}{0}$			<u>s0</u> 0	0	0	0	0	0
-	prizontal Reserv	* -	Ex S	v	v			ST-0 (v	v	~	v v			0	v	0	. 0]	0			0			
1			2. P.H.	- (i) E	3/LV-I	, (ii)	D., H.I	H0, (i	iii) LD	/CP&	cOth	ers-0, (iv) (a) I.I	D.,M.I.,	S.L.	D. Aut	ism &	: (b)	Mul.D	is0					
7	राजनीति विज्ञान	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
H	orizontal Reserv												1			I	I	ł		I	L				
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		<u>. P.H.</u>	· (i) B	/LV-0,	, (ii) l	D., H.F	H0, (i	ii) LD/	CP&	Othe	rs-0, (iv)	(a) I.D	.,M.I.,	S.L.I	D, Auti	ism &	(b)]	Mul.Di	s0					
8	इतिहास	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ho	orizontal Reserv																								
4 6	breviations Use		<u>2. P.H.</u>	- (1) <u>F</u>	<u>3/LV-0</u>	<u>, (11)</u>	D., H.	H0, (1	111) LD	/CP8	2Oth	ers-0, (iv) (a) 1.1	<u>).,M.I.</u>	<u>S.L.</u>	D, Aut	tism &	<u>: (b)</u>	Mul.D	is0	(D.O.)			1.01	
FW	S – Economica	llv Wea	ker Sec	tions	GEN V	$\frac{11686}{2}$	Gener	st – s ral Wo	men V		Vido	, 51-50 w DV-D	ivorcee		, OB - BI	U – Ul ndness	mer B	ackw Visio	ara Cia	isses, I	NBC-1	viore E	Sackwa		isses,
Oth	ers – Locomoto	or Disab	ility in	cluding	Ceret	oral p	alsy, 1	eprosy	cured	, dwa	rfisr	n, acid a	tack vi	ctims a	and n	nuscula	ar dys	troph	v. I.D.	- Intel	lectual	disabi	lity. N	1.I M	lental
Illn	ess, S.L.D Sp	ecific L	earning	Disabi	ility, M	lul.D	is Mı	Itiple	Disabi	lity, I	Ex. S	er. – Ex	Service	man, P	Н. –	Physic	cal Ha	ndica	ped.				•		
	गणी:– एकाधिक										पर्युक	त सांरणी	में दिव	यांगता व	की द	शईि ग	ई श्रेपि	गयों ग	नें से (i) एवं (ii) की	अनिवा	र्यता के	र्र साथ	(iii)
અથ	वा (iv)(a) में वर्षि	गत कोई	एक वि	कलाग	ता अन्	वार्य	रूप से	। होनी	चाहिए	1															
	ट :														·····										
- 7																									

1 कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

2. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

- 3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष ले लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह/परिक्यक्ता/तलाकृशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- 5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी।
- 6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

đ

1 (i) हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के लिए :--

Second class post-graduate degree in the concerned subject having minimum 48% marks with ShikshaShastri/B.Ed. degree.

(ii) सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण एवं यजुर्वेद के लिए :--

Shastri or equivalent traditional Sanskrit examination with Sanskrit medium and Second Class Acharya degree or equivalent Sanskrit medium examination in the concerned subject having minimum 48% marks with ShikshaShastri degree or equivalent.
 Working knowledge of Hindi written in Devnagari script and knowledge of Rajasthani culture.

-		·		
शैक्षणिक अर्हता	पद की अपेक्षित शैक्षणि	क अर्हता के अंतिम वर्ष	की परीक्षा में सम्मिलित हुआ ह	हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा,
संबंधी प्रावधान	किन्तु उसे आयोग द्वारा	आयोजित लिखित परीक्ष	क्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जि	र्जत करने का सबूत देना होगा।

1

वेतन पे-		पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 (Grade Pay -4800/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix	: Pay) देय होगा।						
आयु सीम	ना	दिनांक 01.07.2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट :							
		1. पद क्रम संख्या 1 से 5 के पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किये थे जिसके तहत् आयु गणना का आधार दिना	क 01 07 2022 रखा रासा						
		था एवं पद क्रम संख्या ०६ से ०८ तक के पद आयोग द्वारा वर्ष २०२० में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आय	गणना का आधार दिनांक						
		01.07.2020 रखा गया था। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.07.2024 को अधिकायु के होते हैं, उन्हे संबंधित सेवा नियम में वि	वेहित प्रावधान के अनुसार						
		पद क्रम संख्या 1 से 5 तक के पद के लिए ऊपरी आयु सीमा में 01 वर्ष एवं पद क्रम संख्या 06 से 08 तक के पद के 03 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।	लिए ऊपरी आयु सीमा में						
		विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभित्तन वर्गो / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रा							
क्र.सं.		अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट						
1.	राजस्थान	राज्य के अनुसूचित जाति, अंनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष	5 वर्ष						
		ndidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes	Five Years						
2.	्यात हला राजस्थान	nomically Weaker Sections of Rajasthan State की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला	<u> </u>						
	Women	Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward	Ten Years						
L	Classes a	nd Economically Weaker Sections of Rajasthan State							
3.		ानारक्षित) वर्ग की महिला Candidates belonging to General Category	5 वर्ष						
		candidates belonging to General Category	Five Years						
4.	विधवा एवं	विछिन्न विवाह (परित्यक्ता/तलाकशुदा) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं						
		and divorced women.	Ū						
		tion :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the nt Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.							
5.	ত্বপর্যুক্ত তা	न्यतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substar	tive तौर पर सेवा कर चका						
	था और इन	त नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।	9						
	The uppe	r age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner who had served under Government of before his conviction and was eligible for appointment under the rules;	n a substantive basis on						
6.	उस भूतपूर्व	कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्षि	र्गत अधिकतम आय सीमा में						
	उसके द्वार	भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी।	0						
	The uppe	r age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the ver age before his conviction and was eligible for appointment under the rules,	case of ex-prisoner who						
7	इस सेवा व	ठे किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयू सीमा में थे तो उन्हें आय सीमा में समझा जावे	गा चाहे वे आयोग के समक्ष						
	आखिरी उ	ास्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुवित्त के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर	दिये जावेंगे।						
	The perso	ons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age limit, had they been w e initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Co	ithin the age limit, when						
	allowed u	p to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment;	ommission and shall be						
8	कैडेट इन्स्	रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्त परिणामित आय अधिकत	तम आयु सीमा से 3 वर्ष से						
	अधिक नहीं The unne	होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।							
	and if the	r age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C., in the c resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be c	case of Cadet instructors learned to be within the						
	prescribe	d age limit.							
9	ानमुक्त हुए चाहे उन्होंने	आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक़्त होने के पश्चात् आयु 1 आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु	, सीमा में ही समझा जाएगा						
	The Rele	ased Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the A	सामा का दृष्ट से पात्र थे। rmv shall be deemed to						
	be within	the age-limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they	been eligible as such at						
10		f their joining the Commission in the Army. में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।							
		Il be no age-limit in the case of persons repatriated from Pakistan during the 1971 Indo-Pak War.							
11	राज्य, पंचार	ात समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम् आयु सीमा 40 वर्ष							
	The uppe	r age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Partier Undertaking Corporation is substantius expective hell he 40 years	rishads and in the State						
12	राजस्थान	ctor Undertaking Corporation in substantive capacity shall be 40 years. सेविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देर	। होगी परन्त सीधी भर्ती की						
	दशा में जह	ग निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपबंधित आय में दिये गये	. शिथिलीकरण के अतिरिक्त						
	निम्नतर पर	र पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीक ई से अधिक जिन्ही में से उन्ही अप जीए का कि बराबर आयु के लिन जीवी करी की जान है कि जान हैं।	रण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय						
	आयु ५० प अधिकतम	र्थ से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशाँ में जहां निम्नतर पद का अनुभव ऊपरी आयु सीमा लागू होगी।	आनवाय ह वहा 55 वर्ष को						
	Accordin	g to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit s	shall be 10 years to Ex-						
	serviceme	en; Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxa	tion in age equal to the						
	these rule	requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age s; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upp	already provided under						
	shall be a	pplicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper ag	e limit of 55 years shall						
	be application	able.							
	प्रावधानों के	:— कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नि : होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह	.यन, १९४८ यथासशाधित के भतपर्व सैनिक को भी देरा						
	होगी अर्थात	् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।							
13	राजस्थान f	देव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छू to the Rejection Rights of Research with Displicities Parks 2018 discussed on the second statement of the second	ट देय होगी।						
	for person	g to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall s with benchmarks disabilities.	be relaxed by 05 years						
नोट :	विभिन्न वग	/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/	'तक की आयु सीमा में छूट						
नोट –	दा गई हो,	स्वतः ही निष्प्रमावी माने जायेंगे।							
	उपरोक्त वर्णि	त आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 12 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उप	रोक्न तर्गित किसी भी एक						
7	गवधान का ः	अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छुट का लाभ नहीं दिया जायेगा।							
2. f	वशेषयोग्यजन हे अन्यान २	1 को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 12 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात बिन्दु संख्य तिरिक्त छूट देय होगी।	॥ 13 में उल्लेखित प्रावधान						
3. 7	मार्मिक (क–	गतारको छूट दय होगो। 2) विमाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बत् (Vertical) व क्षैतिज	(Horizontal) आरक्षण के						
3	अंतर्गत किसी	ं श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसीम	ा, अंक, फिजिकल फिटनेस						
3	भादि) का ल गत्मज्ञ्यान जोन	भ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा। ॥ नियम के अनुसार सरकारी कर्मनामी हेन सेगनिवनि की शाम ६० वर्ष निर्धालिन है। नगरिम नियनिन निर्णत जुद्द अनुसर्भ न							
Ŧ	नहीं होनी चा		ç						
		छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकि	त प्रावधान ही मान्य होंगे।						
	अन्य विवरण								
चयन प्र	जन्य प्रियेग चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में								
		स्केलिंग / मोडरेशन / नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा संकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 26 के अन	रसार आयोग टारा उपयक्त						
		पाये गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जायेगें जो लिखित परीक्षा के प्राप्तांको की	ो मेरिट (Merit) के क्रम में						

.

पूर माह किस केमन के किस केमन के कार्यना के प्रदान के सान कि रिश्ल के प्राय स्वाप्त के प्रवास की कोगी। बात जन्मनी में उसलिय सीक देखन के प्रवास की प्रयास के कार्यना की का प्रायम के सिंह के की प्राय स्वाप्त के प्राय के सान की आपने की स्वाप्त का प्राय के कार्यना की का प्रायम के सिंह के की प्राय के प्राय के प्राय के सान की आपने की स्वाप्त का प्राय के के का प्रायम के सिंह के की प्राय के सान की प्राय के प्राय के सान की आपने की सान की का सान की सान की प्राय के किस की प्राय के सान का कि की प्राय के सान की प्राय की सान की आपने की सान की आपने की स्वाप्त का प्राय का किस की प्राय के का का कर की का रकी का सान की सान की रेगा की आपने की सान की सान की आपने की सान कि का का को का की का सान की सान की सान की सान की का सान की सान की प्राय की की का की की का की की का की की प्राय के की का की की का सान की का की की सान की सान की की सान की का सान की सान की सान की सान की सान की की का सान की का की की का सान की सान की की की की का सान की की की का सान की की की का सान की का सान की की की का सान की की की का सान की की की ना सान की सान की का सान की सान की सान की सान की सान की		व्यवस्थित होंगे।		
मास्त्राक मास्त्र मास्त्र के सार्थ के सार्य के सार्थ के सार्य	परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।		
প্ৰথম বন্ধৰ কিন্তু কৰা কৰা কৰি বিজ্ঞান বিজ্ঞান কৰিবে ((assession is constrained) কিন্তু কৰা কৰিবে ((assession is a real field) names in a setting of the setting of	परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम आवेदन अवधि	विस्तुनिष्ठ रूप में ली जायगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग	ानुसूची में उल्लेखित परीक्षा योज की वेबसाईट पर पृथक् से जार्र	जना के अनुसार परीक्षा ो किया जाएगा।
Recraiment Portal of word #5 One These Registration (OTR) sert Brit. Jacob and One Time Registration (OTR) sert Bit and the main and the set of the set o	आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों (Instructions for Appl अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आ दिशा–निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अम्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <u>https://rpsc.rajas</u>	licants), विस्तृत विज्ञापन एवं स <u>ायोग की वेबसाइट पर उपलब</u> <u>than.gov.in</u> पर उपलब्ध Ap	iबंधित सेवा नियम का ध अम्यर्थियों के लिए pply online link को
Appe (CLC) fi Strem Recruitment Portal Werd on smith OTR Profile Werd Strup, Rins Rug, and Rufe, Rin, Risker, Stram Rufe, Rin, Rins, Rug, Strup, Rug, Rug, Rug, Rug, Rug, Rug, Rug, Rug		Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। हेतु अम्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिव	प्रथम बार One Time Regist कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/उ 11र्य होंगे।	ration (OTR) करने ड्राइविंग लाइसेंस आई.
LD) अठिन या प्राय नहीं हुआ है. तो दसफा अर्थ यह कि वि परस्य आप नहीं हुआ है। आदेदन पत्र के Preview को अतेवन Submit नहीं नाम प्रायेगा 6. आविक को अतिवर्तन आरंदन अप स्पर प्राय नियो प्रसार की कोई प्रत्या थे तो किcontinuen Ponta पर दिरे गये Holpdeck Number या E-Mail पर प्रायं के विंग को विंग को बादेव के प्रायं के प्रायं के कोई प्रत्या थे तो किंग-वाईन आवेदन करों पत्रता प्रायंग के 1 अवादक कि अतिवर्तन आप के किंग के बाद के प्रायं के प्रायं के आये की बात के प्रायंग के प्रायंग के अनुमंद पर निम्मयुरार का कविंग की की पर को विंग का अतिवर करों ने की की की की की को किंग करना के पारंग के प्रायंग के आयुर्ग पर निम्मयुरार के प्रायंग के अनुमंद की की पारंग के अतिक किंग का प्रायंग के आये के बात के की मान की की की आये का प्रायंग के अत्ये की बात अतिकार की की बात के प्रायंग की आये की की किंग किंग करना के पारंग के अनुमंद प्रायंग का प्रायंग की की नाम अठिमानम की पारंग की उनके की की की किंग का प्रायंग प्रायंग के का के की की का को आये के बात करना के की निर्धक के प्रायंग की की की की की की की की की किंग कि का करना के की कि निरित्य के प्रायं के अत्ये की वान की की की की की की करा के की की की की का को की		Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या द 4. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवर नहीं होगा। <u>अतः OTR करने से पूर्व आधार/जनाधार/ SSO प्रोफाइल में अंकित विव</u> सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित_कर लेंवे। यदि इसमें कोई अन्तर है तो जनाधार कार्ड/3	के आधार पर ऑनलाईन आवेदन पिता के नाम, जन्म तिथि, लिं ण में किसी भी प्रकार का संशोग रण का शैक्षणिक दस्तावेजों में आधार कार्ड/ SSO ID की प्र	करें। ग, सैकेण्डरी/समकक्ष धन किया जाना संभव अंकित प्रविष्टियों से
ar E-Mail पर सारक करें। control जिस करें। control जिस करें। control जिस करें। control जा करे		I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा Submit नहीं माना जायेगा।	नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के 🛛	Preview को आवेदन
		या E-Mail पर सम्पर्क करें।		
and and series का and		पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। 8. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथ	पा राजस्थान राज्य से भिन्न	राज्यों की अनसचित
अविंदन की अविंग तेथि के परणत एकी पोपला/अनुपत की हमा/ पदि होगा, पदि आवेदन में अंकन नहीं है। केवल आवेदन की अंतित लिंद से परणत अंतिर किंथलेल गांपता (जुनुपत की वा म में किंवालोग कों। 12. अग्यविंग को सुततेखन की सुतिम ताम करने के लिंगे अपने वांतवाईन आवेदन पत्र में कुललेखक नहीं लिंग से 11 13. अपन्यमिं को सुततेखन की सुतिम लांग करने के लिंगे अपने वांतवाईन आवेदन पत्र में कुललेख कर सुतिम लिंग 13. अपन्यमिं को सुततेखन पत्र नहीं किंय तो पर पत्र सुततेखन की सुतिम थे थे नहीं होग। 13. अपन्यमी कॉनजर्वान आवेदन पत्र में कुंसली (bluncol) स्वैश्व फोलो करने के राखा जो नवीन फोटो अर्जयों के उलरलात है तो आपरयी वॉनजर्वन आवेदन पत्र में संगीम नत्र की सात है तो आवर की अविंग देशी के दी पत्र पत्र की आदेत की सात्र के सुतिम लत्ता सात है तो आवर की वॉनजर्वन आवेदन पत्र में संगीम नत्र ने नाता है तो आवर की की वीदे पत्र पत्र की आवेदन की अविंग के वांतवन नवा है तो आवर की वॉनजर्वन आवेदन पत्र में संगीम नत्र ने नाता है तो आवर की वॉनजर्वन आवेदन पत्र में संगीम नत्र ने नाता है तो आवर की वॉनल के आवेदन पत्र में संगीम नत्र ने नाता है तो आवर की से अविंग के वोदन के अविंग ति अपने की संगीम 14 ते के अपने पत्र मिंग के संगित करा संगीम की ति कि पत्र की की या नार के मुदी है कार-पत्र संगीम तिरंग के पत्र संगत ने की संगीम 14 ते के अपने स्वार संगीम कि से कि स्व मान संगीम के सिंग के दि कि संग करे की संग जा करते हैं। 3. One Time Registration (OTR) जाए सिक वी के के लाप की कि वाना पत्र कि सा सत्र होग। 4. लिंसी में आकार के संगीमन के परिव का स्वार्ग के आवंदन के को दंगोमन की स्वार मं आजा साते के संगीम के संगीम के संग करा स्वार कि संगीम के कारेग के संगीम के संग के संगीम के संग की संग के संगीम के सर संग कर की संग के सिलि संग के कारेग संग कर की संग में संगोमन की प्रतिम के संगीम के संगोग के संग की संग कर संग सा संगीम के संग के संगोगन के संग के संग ने संग के संगीम के संग करा संग की संग करा संग के संग ने के संग संग के संग ने संगोम के संग करा संग के संग संग करा संग के संग संग के संग संग करा संग करा संग के संग संग करा संग करा संग के संग संग करा संग करा संग करा संग करा संग के संग संग करा संग संग संग संग करा संग करा संग करा संग क		आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही 3 9. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यव 10. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के अतिरिक्त किसी या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।	आवेदन करना होगा। 5 रूप से निकाल लेवें। भी परिस्थिति में किसी भी प्रका	र का कोई ऑनलाईन
रोगा एसत किरूप का परन नहीं किये जाने पर मुतालेकक की सुवित दिव नहीं होगी। 13 अपयर्थ की मांताईन आदेत पर मई कुछली (blunce) एकेंग्र कोटो अपलंक नहीं करें एका जो नवीन कोटो दाराले हो जा सती है उसाकी 5 रंगीन जोतलाईन आवेतन पर मई कुछली (blunce) एकेंग्र कोटी करें दावा जो नवीन कोटो दाराल है जो आपको भी नजाइन आवेतन में GTR Profile दे देहीए में देखाएँ में देखा के नाग, पिता के नाग, पात के विश्व दिया के अविक अस्थ बुटि संघोसन निम्नानुमार कर सकला है- 1 यदि कोई अपयार्थ किया निमाल स्वार्थ के नाग, पिता के वे सवहर पीति के विश्व दिया रंगे अवदिति करान होन-नियानुमार कर सकला है- 1 यदि कोई अपयार्थ किया कायोगन की किसि पारंध के अविक के दीखान एवं आवेतन किया जाय पा पर की अतित दियांक के परिवार के प्रवार 10 किया हो का प्रयार 10 विश्व के दीखान एवं आवित नियाल स्वार किया जायेग एवं पर से किया जायेग एवं कि दिये के दिया एवं एवं के वित्त में क्रिक्त आपके कराक के कोटो. 3 One Time Registration (OTR) जाये किये जाने के काएएग एवं के सिक्य जाये के प्रार्थ (बेवल के संचाय के परिवार क्या संचाय के परिवार आप संचित किया जायेगा एवं किय पाए सिक्य के परिवार के संचाय के परिवार के संचाय के परिवार अपयार्थ के कार हो किया जायेगा एव किए गए संचायन की दिये हो स्वय के नागर, जा ही किया जायेगा ही आवार की वाये ही निया जायेगा। 3 One Time Registration (OTR) जाये किये जाने के काएग स्वति किया जायेगा। 3 क्यां के संचाय के संचाय के स्वय के नागर करा के संचाय के स्वय के नागर करा के संचाय के स्वय के संचाय के स्वय के साम स्वय के संचाय के स्वय के स्वय के संचाय के स्वय के साम संचार के संचाय के संचाय के स्वय के संचाय के संचाय के संचाय के स्वय के संचाय के संचाय के स्वय के संचार के संचाय के स्वय के संचाय के संचाय के संचाय के संचाय के संचाय के संचाय के संचार के संचाय के स		आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा, यदि आवेदन पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।	में अंकन नहीं है। केवल आवेद	न की अंतिम तिथि के
शीनलबन सबेने संक्रमे संक्रमे संक्रमे संक्रमे प्रवार प्राय के नाम, जिस जीन के प्रथल पर विभाव करी किया प्रवार की मुझुट का पला लगता है तो अन्यर्थ गंगलाईन आवेदन ने OTR Profile में स्वारेप गये स्वयं के नाम, जिस के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अदिपित जन्म युष्टि संसोमन निम्नानुझा कर सकता है. 1 वरे कोई अव्यर्थ अपने Online अवेदन पत्र में संदोधन करना घादता है तो आदेदन की अदी के दो दोषण एथं आदेदन एम की अदिम दिनांक के पर्ष्या (D दिसस के गीवत निक्रंपी युख्क स्वर्थ 500/– देखर को सांक्रमर की किया जाये संवय्य ही किया जाये मार पुर्व आदेदन पत्र की अदिम दिनांक के प्रराय के प्रवार कि प्रवार कि प्रवार की का ही होगा । 2. आयेग हान, प्रवन से विती प्रवर पर्य संक्रीमर/ परिस्त किया चारणा परे देशि किसी जी ही का साभ्य वायित अन्यर्थी की का ही । 2. आयोग हान, प्रवन से विती परिसा आयोजन की तिथि से 48 दिष्ठ प्रुर्व 16 दिन के लिए ऑनलाईन रेडिट हैंगु विकल्प खोला ना जायेगा जिसके अंतर्गत अन्यर्थी के फोट, नाम, पिता के नाम, ज्यन सिंद पर्य लिंग के अतिसि का यर संक्रोम किये जा साजते हैं ! 3. One Time Registration (OTR) जायू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अन्यर्थी के नाम, जाक ना, जान सिंधि व लिंग में किसी सत्तर स्वर कोई संतोधन संत्य तही केंगा 4. किसी भी प्रकार के संक्रोधन के प्रवाद अन्यर्थी को एस,एम,एस के काध्यम से सुवित किया जायेगा। एवं किय पर संत्रोगन की पुष्टि ओटोरी, के माध्यम से की जायेगी। 5. सभी मकार के जनुमत संत्रोधन के प्रवाद कियों ने प्रयत्न कियों सु स्वर प्रव के द्वे संविधन नहीं किया जायेगा व उत्तर ऑफलाईन/ऑनलाईन संवीधन तिथि प्रयार कॉर्य से प्रवर्श करने दे सुआवयते कि मी म्रायर के क्री सु सुवार के के संविध का स्वर्ध की प्रव सुवार कर का खोफलाईन/ ऑनलाईन संवीधन तिथि 9. व्ययेत सं के स्वरी प्रवर के साक्रेस के अंति कुक्ती क्रायर का के अस्थी के नाम, जान नहीं किया जायेगा व उत्त ऑफलाईन/ ऑनलाइन स्वरीधन तिथि 9. व्ययेल का के के सेतेर परे की क्रीसेरेटर अंखी सु के क्रीसेरेटर के क्ये संकार से आयर्थ के सान्य ने अति सिफ्छा सार कि प्रवर्ध का के लिंग स्वर के अन्यरीय का संत्र संक्रेस करायों के क्रीसेर के के क्रीसेर के को क्रीसेर के अत्यरी प्रवति सिफ्छा सर्व-जांत की कित्य प्रवा के को नित्य स्वर के क्रीस के करायेग संकर कराया के अन्यर्य संक्रेस कर कराया क		होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी। 13.अम्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में घुंघली (blurred) स्कैण्ड फोटो अपलोड नहीं करें तथा जो		
संपत नहीं होगा। 4. किसी भी प्रकार के संशोधन के प्रचात अप्यर्थ को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी। 5. समी प्रकार के अनुमत संशोधन के पुरात किसी भी प्रकार का ट्वाटे मुझार नहीं किया जायेगा। 7. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के परशात किसी भी प्रकार के यही में मिला के कोई कानूनी अधिकार नहीं किया जायेगा। 7. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के परशात किसी के सार्थ से कोई संशोधन स्डीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरात कोई भी परिवर्तन करने हेतु अपथीं को कोई कानूनी अधिकार नहीं किया जायेगा। 7. आयोग द्वारा परीक्षा आयाजन के परशात किसी के सार्थ के कोई कानूनी अधिकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरात कोई भी परिवर्तन करने हेतु अपथीं को कोई कानूनी अधिकार नहीं किया जायेगा वा उक्त कारिक किया गया है जो निम्नानुतार है- 1. सागाय (आतारिक)/ पिछड़ा वर्ग के कीमेंदिवर/ अली सिछड़ा वर्ग कि कीमोतीयर के अपयी — अल्परे कार्या- करपरे कार्या के अन्यर्थ कार्या ने को अधिकार अपछी – कारपरे (अनुपूषित जाति/अनुपूषित प्रान्त कीमोलेवर/अदा किया जया न करपरे कार्या के अनुपूषित जाति/अनुपूष्टित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक कर से कमजोर वर्ग सहारिय के अपथी – कारपरे के अनुपूषित जाति/अनुपूष्टित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक करप से कमजोर वर्ग सहारिय के अपथी – कारपरे के अन्यर्थी में का आगान्य वर्ग के अन्यर्थी में एलस्परी को कारपर (अति भिछड़ा वर्ग/आर्थिक करा से कमजोर वर्ग सहारे के आया पर जाकर सुरक जा जाएगा। आतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अन्यर्थी में परित्त किया प्रांग पर तुरक जा का साम्य वर्ग के अन्यर्थी में एलसरे कार्य ने स्वार्य सं कार्य से कार्य से प्रांग के अन्यर्थी में का सामान्य वर्ग के अन्यर्थी में एलसरे कारपर (अति भिछड़ा वर्ग/आर्थक कर से कमजार पर चारपर सं कां सान पर परित्त के अपथी पर्या ता तुरक जा जा खा हुत के अत्यर्थी में आगर पर जाकर कुत कर वन दाई सं रजिरदुर कर कर का सामर पर जार तुरक कर का आता व्या कारपर कारपर के अन्यर्थी को सामान्य वर्ग के आत्य का आरं कारपर का त्या	ऑनलाईन आवेदन मे 1. यदि कोई अभ्यथ मीतर निर्धारित इसके पश्चात् वि 2. आयोग द्वारा प्रथ नाम, पिता के ना	OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य ट्र् ीं अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आ शुल्क रूपये 500/— देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.go रुसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दा म घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विव म, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।	पुटि संशोधन निम्नानुसार कर सत वेदन पत्र की अंतिम दिनांक के v.in पर उपलब्ध दिशा–निर्देशान् येत्व अभ्यर्थी का ही होगा। कल्प खोला जायेगा जिसके अंतग	कता है: परचात् 10 दिवस के रुपार) कर सकता है। र्गत अभ्यर्थी के फोटो,
7. आयोग द्वारा अग्यधी से उलत प्रक्रिया के अतिरित्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्थीकार नहीं किया जायेगा य उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि जपराल कोई भी परिवर्तन करने हेतु अग्यर्थी को कोई कान्त्री अधिकार नहीं होगा। खरावेष संग्रीवर कुल-2) दिना के प्रेरिज दिनाक 1904/2023 के हारा सासद वर्षी परीक्षाओं में कुकारीय पंजीयन सुल्क निर्धारित किया गया है जो मिन्नन्सार हे- अस्तित वर्ग (अन्यूस्ति कार्ति/अन्यूस्ति जातात/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहारिया क्षेत्र) के अग्यर्थी – रूपये 400/- 2. आरक्तित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातात/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहारेया क्षेत्र) के अन्यर्थी – रूपये 400/- 3. दिव्यांगजन – रूपये वंग/सहारेया क्षेत्र) के अन्यर्थी – रूपये 400/- त. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अन्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अन्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीवन सुल्क देना होगा। रूपये 400/- 2. जिन अन्यर्थीयों द्वारा पूर्व में वन टाईन रजिर्द्रशन किया जा युका है, वे अन्यर्थी में प्रसारकों आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईन रजिर्द्रशन के ऑप्शन पर जाकर उपयुर्वतानुसार निर्धारि एकवारोध पंजीयन सुल्क जा करवा वे के अन्यर्थी में प्रसारकों आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईन रजिरद्रेशन के आंचान पर जाकर उपयुर्वतानुसार निर्धार करा हिकार के उन्द्राहक का Paper-II shall be of 300 marks. Duration of Paper-I shall be of 150 marks and Paper-II shall be of 300 marks. Duration of Paper-I shall be on 150 marks and Paper-II shall be three hours. 3. All the questions in both the Papers shall be multiple choise type questions. Neise the advestions in the tables sholox:-				

	Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right to Education Act, 2009	15	30
	Total	75	150
	Paper-II Subject concerned		
(a)	Duration: Three hours For the post of Lecturer (School) – Other than Sanskrit subjects (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास एवं राजनीति †	वेलान के निगा	
S.No.	Subject	Number of questions	Total marks
1.	Knowledge of subject concerned: Senior Secondary Level	55	110
2.	Knowledge of subject concerned: Graduation Level	55	110
3.	Knowledge of subject concerned: Post-Graduation Level	10	20
4.	Educational Psychology, Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and information Technology in Teaching Learning	30	60
	Total	150	300
	Paper-II Subject concerned Duration: Three hours		
(b)	For the post of Lecturer (School) –Sanskrit subjects (सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण एवं यजुर्वेद के ति Medium of examination shall be Sanskrit Language	(ग्र	
S.No.	Subject	Number of questions	Total marks
1.	Knowledge of subject concerned: Varishtha Upadhyaya Level	55	110
2.	Knowledge of subject concerned: Shastri Level	55	110
3.	Knowledge of subject concerned: Acharya Level	10	20
4.	Educational Psychology, Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and	30	60
	information Technology in Teaching Learning Total	150	300
tin 5. A अति महत्व 1 अभ्यश E-M पर 3 2. अभ्यश 3. आवेव कि र	ter solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circle ne of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this. <u>candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqu</u> पूर्ण बिन्दु/नोट : भी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परी ail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर 'व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परी को काध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर 'व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होन क्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। भी यथासम्मव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक क अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने भी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग ह भी आवेर दारा लिर्घारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन	ualified. भा / साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भा ो / नेटवर्क समस्या होने पर सूच हो तो इसकी सूचना आयोग को से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों रास आगे की कार्यवाही की जाये	वी सूचना SMS & नाएं प्राप्त नहीं होने शीघ्र भेजें। से आशवस्त हो लें गी।
समस् 5. आवेव इसक विषय उसक की र नहीं 1 अथवा उनके किये	ग के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। क द्वारा स्वयं/ई–मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की ा सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन–पत्र के Preview योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारते ा प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, त पर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई अं केया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन–पत्र सही–सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना जाने हेतु स्वतंत्र होगा। आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये 3	कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रु में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, अ हुए ऑनलाईन आवेदन–पत्र को तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेद निलाईन या ऑफलाईन संशोधन भी हिदायत दी जाती है कि आर । ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी व	टे हो जाती है, तो 11यु (जन्म दिनांक), Submit करें और 1न–पत्र में संशोधन ⁄परिवर्तन स्वीकार देवक अगर ई–मित्र' भरोसे न छोड़े कि के विरूद्ध कार्यवाही
क पर जा स वर्ग / कर्मचा उल्लेर नहीं ऑनल आवेद प्रस्तुत 7 आयोग द्वारा दी हो	'चीत् उसकी श्रेणी में सुधार को सुविधा नहीं दो जाएगी । गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेद किता है, जिसकी समस्त जिम्मेवारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता री/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (S ब निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन केया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ ाईन आवेदन–पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ न–पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज (ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन–पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जारं 1 द्वारा ऑनलाईन आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन–पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जारं	न–पत्र आयोग द्वारा किसी भी स वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिव /विकलांगता/राज्य कर्मचारी abmit) करते समय अपने वर्ग करने की अवधि समाप्त होने के विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं हो यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/ से पूर्व का/तक का बना होना गा। णी इत्यादि) की जांच की जाएग ा जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मे	तर पर रद्द किया 5 रूप से कमजोर / गैर राजपत्रित का स्पष्ट रूप से बाद वर्ग परिवर्तन कर आवेदक द्वारा / वर्ग में ऑनलाईन चाहिए) यथा समय ती । यदि आवेदक दारी स्वयं आवेदक
अनान्त द्वारा आयोग समरत्त करना जाति, विवाह कारण अभ्यर्थ 9. यदि व अभ्यर्थ 10. माननी 01 11. पत्र प्रा प्रकार विकला	म (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पन्न उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पन्न में उल्लिखिा / विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र एवं ऑनलाईन आवेदन होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते /अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/ /तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गेर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागी यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की होगी। वेई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर ता रद्द कर दी जायेगी। य उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका 2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विवाह विखिल्न, विंत की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/ विक्छिन्न विवाह/तलाक: <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात परन्तु ऑनलाईन आवेदन में संश</u> <u>त निर्धारित प्रक्रिया अन्तार्व की अंतिम दिनांक के पश्चात प्रत्न्तु ऑनलाईन आवेदन में संग्र त्य निर्धान विकिल्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विघा/विक्रिन विघा/ विक्रिन विवाह त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परितर्तन करवाना होगा अन्य्या उसे विकलांग/विघा/ विवाह</u>	म जारी करने का यह अभिप्राय क प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही में आवेदक को विस्तृत आवेदन- पत्र की प्रति के साथ आयोग क समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्य भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र, य कर्मचारी/अन्य शतों की पाल की जा सकती है, जिसकी समस कि अम्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छु जैन व अन्य के प्रकरण में पानि / तलाकशुदा वर्ग में आवेदित माति गुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाम वि ोधन की तिथि तक जो 3 / तलाकशादा/पण्टिल्यका वर्ग का	नहीं है कि आयोग मान ली गई है। -पत्र दो प्रतियों में कार्यालय में प्रस्तुत ता तथा अनुसूचित / विधवा / विच्छिन्न विधवा / विच्छिन्न वा नहीं करने के त जिम्मेदारी स्वयं क नहीं है, उसकी रेत निर्णय दिनांक हेला द्वारा आवेदन रेया जायेगा। <u>इसी</u> <u>रावेदक / आवेदिका</u> त जाय जेने हेन

पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाम देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- आवेदक उक्त पद हेतु तमी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्णू करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं 11 अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण–पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- 12.
- 13.
- भाग जापना जापना जापना जापना जापना जापना आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी। परीक्षार्थियों को ई–प्रवेश–पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा 14. दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने की प्रक्रियाः--15.
 - The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता–Both Arms) एवं सेरेब्रल पल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। उक्त श्रेणी के अलावा Section- 2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के नामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण–पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी।
 - श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये योग्य दिव्यांगजन अभ्यर्थी स्वयं का श्रुतलेखक ला सकता है या केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने हेतु ≻ परीक्षा दिनांक से 02 दिवस पूर्व अनुरोध कर सकता है।
 - उक्त अधिनियम के Section-2(s) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम 02 दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा \triangleright अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- श्रुतलेखक से संबंधित विस्तृत निर्देश एवं प्रमाण–पत्रों का अवलोकन आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा–निर्देशों के अंतर्गत करें। ≻
- प्रशन-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की 16. स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा. जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी 17 प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या 18. अनुचित/अमद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वाँरा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :--

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/ अनुसूचित क्षेत्र/विध्वा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता /विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रिल कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाम तब ही देय होंगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतुँ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लियों जावे :–

- कार्मिक (क–2) विमाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाम लेने हेतु जाति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21 10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण--पत्र विस्तृत आवेदन--पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। 5. पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण—पत्र (Income & Assets Certificate) अम्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर
- भाषभग्र अप रा करोजार परा का प्रमाण-पत्र (mome & Assets Certificate) जन्मथा एव उसके पता का वशात हुए ानवनानुसार पारवारक आय क आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये। शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता / अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक / परीक्षा दिनांक / साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे– श्रेणी / वर्ग / जाति / अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपन्न में प्रमाण–पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण–पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार प्रमाण–पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलागता प्रमाण–पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा – राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मत्दाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा परित्यकता / तलाकशुदा / विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री या विधिक प्रावधान के अनुसार तलाक का साक्ष्य ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक होना आवश्यक है।
- भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान के जुसार पंताक जानवाइन जावर पानवाइन जावर का जातन पंताक/ संसाधन का विनाक तक हाना आवरवक ह। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी परायत्र कायात्रकी को पिकिन्त कर उसके आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। पदंग्रहण कालावांव का साथल कर सकना आर एस एसका संपानधात क दा नाह का किसा कालावांव के नातर—नातर पद प्रहण करने के लिए अनुझात किया जायना। <u>कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की जाय के जिसी भी पत्र हो जिसी पित्र पर एक बार रावा ग्रहण करने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की जाय के जिसी भी पत्र हो जिसी पित्र पर का राजस्थान ने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की जाय के जिस के स्वान के सित्र राज के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की जाय के स्वान के साम पत्र हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन मान करने के पश्चात किसी की के स्वान के स्वान के स्वान स्वान स्वान के का स्वान के स्वान के लिए कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की जाय के सित्र को स्वान के सित्र के सित्र के स्वान सरकार के अधीन का स्वान सरकार के अधीन के स्वान सरकार के अधीन के स्वान सरकार के स्वान सरकार के स्वान सरकार के सरकार के स्वान सरकार के सरकार का सरकार के अधीन कि सरकार का सरकार के सरकार के सरकार का सरकार का सरकार का सरकार का स</u> प्रारिश्वति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उस भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उस भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। "कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।"

- 9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह—13 / 2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
- 10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होती हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी । परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबंध किसी विधवा एवं विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ—पत्र यथा समय प्रस्तु करना वांछनीय होगा।

11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 12. विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी

- या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। 13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित
- ाउ. जायदेक को जारान शतालक संस्था का चारत्र प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चारत्र के सम्बन्ध में कम स कम "अच्छा" का उल्लेख/अकित होना आवश्यक होगा।
- 14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
- 15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
- 16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन–पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :–

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन–पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन–पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन–पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन–पत्र रदद कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन–पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना–पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र/पत्र–व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। वूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन–पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना के आघार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी राई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रदद करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :--

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई–मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन–पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन–पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता हैं, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :-- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय–समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरमाष सं.– 0145–2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(रामनिवास महता) सचिव

क्रमांक: प.8-A(10)Exam/Lect./Sanskrit Edu./RPSC/EP-I/2023-24/186

दिनांक : 25.01.2024

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत वि.सं. 12/परीक्षा/प्राध्यापक/संस्कृत शिक्षा/RPSC/EP-1/2023–24 राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार सशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित है।

विशेषाधिकारी

GOVT EXAM TAK अब व्हाट्सऐप चैनल पर भी \odot 13.0 m. 19.1 Govt Exam Tak (News) Cá) ऑनलाइन फॉर्म 16 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे 4 1 DSSSB TGT Recruitment 2024 Notificatio Released For 5118 Posts - Govt Exam Tak DSSSB TGT Recruitment 2024 Notification Relea 1 400 1 1 1 1 1 विभिन्न एजुकेशन संबंधी अपडेट्स सीधे अपने व्हाट्सऐप पर 📥 ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले DSSSB टीजीटी के 5118 पदों पर भर्ती com/dsssb-tat-recruitment-2024/ री से 8 मार्च 2024 तक, संपूर्ण जानकारी यहां से पहले C क्षा 10 एवं केका 12 का टाइम टेबल जारी 2024 🗹 क्षा 10वीं का टाइम टेबल 👇 https://govtexamtak.co e-table-2024/ क्षा 12वीं का टाइम टेबल 👇 https://govtexamta -time-table-2024/ 4 🖤 🚱 😨 9 노 चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें 00 ► Write an update খিতনে মৌ হুভূক কৈ নিদে হৰ্তমান পৰ কিন্তু হোৱা সকল All Education Update's 1st

GOVTEXAMTAK.COM

GOVTEXAMTAK.COM

GOVTEXAMTAK.COM

GOVTEXAMTAK.COM

Job | Exam Date | Syllabus | Admit Card | Answer Key | Result | Scheme

GOVTEXAMTAK.COM